<u>Regarding Detail of Targets of Food Samples Fixed by Government.</u>

210 : SH. JAGBIR SINGH MALIK, M.L.A : Will the Health Minister be pleased to state whether any targets/norms have been fixed by the Government in State for taking sample of food articles per month or year; if so, the details thereof ?

ANIL VIJ, HEALTH MINISTER

Yes, Sir

The target for taking the food samples per Food Safety Officer per month has been fixed. Food and Drugs Administration Department had fixed a target for taking 30 food samples per month per Food Safety Officer from their respective District, on 07.03.2012 and further clarified vide letter dated 18.09.2018. But the matter is regularly discussed in Central Advisory Committee (Governement of India) and observed that the Designated Officers and Food Safety Officers have to perform many other duties like to attend Court Cases, Additional Deputy Commissioner Court in adjudication cases, inspections, workshops for awareness, surprised raids, special drives, VVIP duties, grant of Food licenses/registrations of FBOs and have to promote many schemes launched by FSSAI (Governement of India) to implement the FSS, Act, 2006 in concerned States. Therefore, FSSAI has advised to take 08 to 14 Food Samples per month per Food Safety Officer.

सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य नमूने लेने बारे लक्ष्य का विवरण

210 : श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताएगें कि सरकार द्वारा प्रति माह या वर्ष में खाद्य नमूने लेने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है; यदि ऐसा है, तो उनका विवरण ?

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

हां, श्रीमान् जी

प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रति माह खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य और औषधि प्रषासन विभाग ने अपने संबधित जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 30 खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य दिनांक 07.03.2012 द्वारा निर्धारित किए गए थे जिन्हें पत्र दिनांक 18.09.2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है। परन्तु इस मामले पर केन्द्रीय सलाहकार समिति (भारत सरकार) में नियमित रूप से चर्चा की गई और देखा गया कि पदाभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कई अन्य कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जैसे की अदालती मामलों में भाग लेना, अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय में अधिनिर्णयन (Adjudication Cases) मामलों के निपटारे हेतू भाग लेना, निरीक्षण करना, जागरूकता के लिए कार्याषालाएं लगवाना, औचक निरीक्षण करना, विषेष अभियान चलाना, वी0वी0आई0पी0 डियूटीज करना, खाद्य लाईसैंस/खाद्य कारोबारकर्ता के पंजीकरण और उन्हें संबधित राज्यों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत सी योजनाओं को बढ़ावा देना होता है। इसलिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 08 से 14 खाद्य नमूने लेने की सलाह दी है।